प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव (दिनांक 21.01.2025 तक बंदी की आयु 42 वर्ष 03 माह 13 दिन) मा0 जवाहरनगर, कस्बा व थाना-कोंच, जनपद-जालौन का निवासी है। प्रथम केस में दिनांक 11.07.2002 को अभियुक्त ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिस के चलते, कट्टों से फायर करते हुवे वादी के भाई की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या- 223,224/2002, धारा 302, 452 आईपीसी, 25 ए एक्ट में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-2 जालौन के आदेश दिनांक 19.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, तथा सपरिहार 24 वर्ष, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

द्वितीय केस में अभियुक्त जिला कारागार, उरई में पहले से आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। दिनांक 14.08.2009 को बंदी सोबरन ने जब उसके बर्तन, कपडे धोने से मना कर दिया तो उसने कारागार के अस्पताल में रिकार्ड रूम में आग लगाने के साथ बंदी सोबरन के ऊपर अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान बंदी की मृत्यु हो गई। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-237/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 436/34, 427/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2, जालौन के आदेश दिनांक 05.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 11 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, जालौन ने बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बंदी की उम्र अभी 40 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध किये किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11.07.2002 को अभियुक्त ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिस के चलते, कट्टों से फायर करते हुये वादी के भाई की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुलदीप यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप यादव (बंदी संख्या-25762) पुत्र श्री अमर सिंह यादव, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-417/2026/434 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-417/2026/434/22-2-2025-17(327)/2025

दिनांक 22 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव (दिनांक 21.01.2025 तक बंदी की आयु 42 वर्ष 03 माह 13 दिन) मा0 जवाहरनगर, कस्बा व थाना-कोंच, जनपद-जालौन का निवासी है। प्रथम केस में दिनांक 11.07.2002 को अभियुक्त ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिस के चलते, कट्टों से फायर करते हुवे वादी के भाई की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या- 223,224/2002, धारा 302, 452 आईपीसी, 25 ए एक्ट में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-2 जालौन के आदेश दिनांक 19.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, तथा सपरिहार 24 वर्ष, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

द्वितीय केस में अभियुक्त जिला कारागार, उरई में पहले से आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। दिनांक 14.08.2009 को बंदी सोबरन ने जब उसके बर्तन, कपडे धोने से मना कर दिया तो उसने कारागार के अस्पताल में रिकार्ड रूम में आग लगाने के साथ बंदी सोबरन के ऊपर अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान बंदी की मृत्यु हो गई। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-237/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 436/34, 427/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2, जालौन के आदेश दिनांक 05.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 11 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, जालौन ने बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बंदी की उम्र अभी 40 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध किये किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11.07.2002 को अभियुक्त ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिस के चलते, कट्टों से फायर करते हुये वादी के भाई की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुलदीप यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in